APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

केम्प कोर्ट – तस्वारियॉ

शम्भू पिता सुवा गुर्जर
निवासी– अटलपुरा

बनाम

नानू पिता बाला गुर्जर
निवासी– अटलपुरा

किस्म मुकदमा– वाद पत्र अन्तर्गतग धारा – 88, 92 ए रा.टी. ए.

प्रकरण संख्या– 127/2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.06.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट तस्वारियॉ पर पेश हुई। वादी शम्भू गुर्जर व उनके अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या– 2 गोपाल, प्रतिवादी संख्या– 5 मांगू उपस्थित हुये। उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से उभयपक्ष की बहस सूनी गई। व्यक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजीयात में गणेश पिता जला गुर्जर का 1/2, हिस्सा व बाला पिता लक्ष्मण गुर्जर का 1/2, हिस्सा दर्ज था। खातेदार गणेश व बाला का सजरा वादपत्र की कलम नम्बर– 2 में दर्शित कर रखा है, उक्त सजरे की रुह से गणेश के वारिसान वादीगण के वली सुवा व प्रतिवादी संख्या–6 के पिता गुमाना के खाते में 1/2 हिस्से की आराजी यानी 19 बीघा दर्ज होनी चाहिये थी, और 1/2 हिस्से की आराजी 19 बीघा प्रतिवादी संख्या– 1 से 4 के वली बाला गुर्जर के खाते में दर्ज होनी चाहिये थी, मगर बाला ने गुमाना व सुवा को बहकाकर व उसके अनपड होने का फायदा उठाकर 19 बीघा के बजाय 30 बीघा आराजी अपने नाम दर्ज करा ली और गुमान व सुवा के खाते में 19 बीघा के बजाय 08 बीघा भूमि ही दर्ज की गई । जबकि सम्पूर्ण आराजी में से 19 बीघा भूमि पर सुवा व गुमान के जीते जी उनका व उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान का लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। वकील वादी का यह भी कथन था कि गुमान ने अपने हिस्से की आराजी में से 04 बीघा आराजी को प्रतिवादी नम्बर– 5 मांगू को विक्रय कर दी। इस प्रकार गुमान के खाते में भी 09 बीघा 10 बिस्वा आराजी दर्ज होनी चाहिये थी जिसमें से उसके द्वारा 04 बीघा आराजी मांगू को विक्रय कर देने से शेष आराजी 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि गुमाना की मृत्यु हो जाने से उदा के खाते में दर्ज होनी चाहिये थी। अन्त में कथन किया कि प्रतिवादी नम्बर – 1 से 4 के खाते में जो 11 बीघा आराजी दर्ज है उनके खाते में से कम की जाकर 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादीगण के खाते में व 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादी–6 के खाते में खातेदारी हक से दर्ज फरमायी जावें । उपस्थित प्रतिवादीगण ने कथन किया कि दावा वादी-स्वीकार फरमाया जाता है तो हमें कोई	सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

आपति नही है।

मैनें उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है–

वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2056–2059 मौजा मादेडा तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 3, 5, 6 किता 3 रकबा 38 बीघा भूमि गणेश पिता जाला 1/2, बाला पिता लक्ष्मण 1/2 गुर्जर साकिन देह दर्ज रिकार्ड होना तथा नामान्तकरण संख्या– 617 दिनांक 04.12.2001 विरासत से गणेश के बजाय सुवा, गुमान पिता गणेश दर्ज रिकार्ड आना तथा नामान्तकरण संख्या– 621 दिनांक 04.12.2001 बंटवारा से आराजी नम्बर– 3, 5, 6 मी किता 3 रकबा 08 बीघा भूमि गुमान, सुवा पिता गणेश के हक हिस्से में आना तथा आराजी 6/1 रकबा 30 बीघा बाला पिता लक्ष्मण गुर्जर साकिन देह के हक हिस्से में आना प्रकट आया है। चुँकि वादग्रस्त भूमि का तत्कालीन खातेदार गुमान, सुवा व बाला के मध्य दिनांक 04.12.2001 को ही विभाजन हो चूका है, उक्त भूमि बंटवारा से तत्कालीन खातेदार सुवा व गुमान को कोई आपति थी, तो उन्हें उक्त आदेश की सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी, अब खातेदारों की मृत्यु हो चूकी है और उनके वारिसानों के द्वारा लगभग 17 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कतई स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

" निर्णय"

दावा वादी खारिज किया जाता है। तदनुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट तस्वारिया पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner